विशेष विवरण

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 05/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 28.06.2024

निर्णय दिनांक : 23.07.2024

1. शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 कर्णपालसिंह
2. संजू पुत्री स्व0 कर्णपालसिंह
3. मंजू पुत्री स्व0 कर्णपालसिंह
4. सीमा पुत्री स्व0 कर्णपालसिंह
5. आशा पुत्री स्व0 कर्णपालसिंह
6. योगेन्द्र पुत्र स्व0 कर्णपालसिंह
7. नीना देवी पत्नी स्व0 रतिपालसिंह
8. सोमपाल पुत्र स्व0 रतिपालसिंह
9. खुशबू पुत्री स्व0 रतिपालसिंह
10. युद्धनाथ पुत्र स्व0 रतिपालसिंह

जातियान राजपूत निवासीयान चौबारा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.

– प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. राजपाल पुत्र स्व0 हरिसिंह
3. बिमला देवी पत्नी स्व0 तेजपाल
4. आकाश पुत्र स्व0 तेजपाल
5. विकास पुत्र स्व0 तेजपाल

जातियान राजपूत निवासीयान चौबारा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.

6. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी वाद शकुन्तला वगै0 बनाम हरिसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 208/2017 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 158/2017 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अंकित स्वामी एड. – प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री राजपाल अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं – अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी प्रकरण शकुन्तला वगै0 बनाम हरिसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 208/2017 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 158/2017 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 राजपाल स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत रखी जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष वाद बउनवानी शकुन्तला वगै0 बनाम हरिसिंह

...लगातार

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

वगै0 प्रकरण संख्या 158/2017 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण ने गांव में ऐलानिया कहा है कि हमारी एसडीएम साहब नीमराना से बात हो गया है कि स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करेंगे। जबकि प्रकरण में तारीख तनकीयात में होते हुये कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण भूमाफिया है व संख्या बल, बहुबल एवं धनबलयुक्त है तथा उनकी ऐलानियां धमकी से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को न्याय नही मिलेगा। अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के कारण प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रार्थना पत्र टी.आई 212 आरटीएक्ट बउनवान शकुन्तला बनाम हरिसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 158/2017 को अन्यत्र किसी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल करने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थीगण नम्बर 02 ने अपनी बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थीगण शकुन्तला देवी वगै0 बार-बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगाकर अप्रार्थीगण को परेशान करते है जबकि पूर्व में भी प्रार्थीण द्वारा न्यायालय हाजा में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 23.04.2024 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया था। अब पुनः मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें।

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 02 की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में पूर्व में भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा पेश करने के उपरान्त प्रार्थीगण उचित अवसर दिये जाने पर भी प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नही हुए जिसके कारण विचाराधीन उनवानी प्रकरण शकुन्तला वगै0 बनाम उपखण्ड अधिकारी नीमराना वगै0 प्रार्थना पत्र संख्या 13/2024 दिनांक 23.04.2024 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था। प्रार्थीगण ने इस तथ्य को मुझालते में रखते हुए पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायसंगत नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे एवं प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है जिससे प्रार्थीगण की मन्शा उचित प्रतीत नही होती है तथा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चूंकि प्रकरण में न्यायालय को गुमराह कर पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण प्रार्थीगण को 1000/- शब्देन एक हजार रूपये शास्ती लगाई जाती है। आरोपित शास्ती प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अदा करेंगे। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलेक्टर
कोटपूतली- बहरोड